महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

उद्देश्य –

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रमकार्य करना चाहते हैं, को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है।

लक्ष्य –

योजना का उद्देश्य रोजगार के अवसर उपलब्ध कराके ग्रामीण भारत में रहने वाले सर्वाधिक लाभवंचित लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा की स्थापना करना, स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करना , उन्नत जल सुरक्षा, मृदा संरक्षण, उच्च भूमि उत्पादकता के जरिए निर्धनों के लिए आजीविका सुरक्षा एवं ग्रामीण भारत में सूखा रोधन और बाढ़ नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्था करना है। इसके साथ–साथ अधिकार आधारित कानूनी प्रक्रिया के जरिए सामाजिक रूप से लाभवंचित, विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अधिकार संपन्न बनाना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। योजना की गतिविधि के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करके शासन में बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही लाकर जमीनी स्तरों पर लोकतंत्र को मजबूत करना इस के लक्ष्य मे सम्मिलित है।।

इस प्रकार, मनरेगा सामाजिक सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारिता पर अपने प्रभाव के जरिए ग्रामीण भारत में समावेशी विकास सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम है।

उत्तर प्रदेश में मनरेगा –

उत्तर प्रदेश में मनरेगा 02 फरवरी, 2006 से लागू ह। योजना के प्रथम चरण में 22 जनपद, द्वितीय चरण में 17 जनपद एवं 01 अप्रैल, 2008 से तृतीय चरण के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जनपदों को योजनान्तर्गत समाहित किया गया है। योजना का वित्त पोषण भारत एवं राज्य सरकार के सम्मेलन सहयोग से किया जाता है, जिसमें अकुशल श्रम हेतु भारत सरकार का 100% भाग एवं सामग्री अंश में केन्द्र एवं राज्य सरकार का क्रमशः 75:25 भाग सम्मिलित है।

कन्वर्जेन्स –

मनरेगा योजना का प्राथमिक उद्देश्य श्रम रोजगार को बढ़ावा देना है, इसका सहायक उद्देश्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को मजबूत बनाने के साथ सतत विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। यद्यपि ग्राम पंचायत महात्मा गांधी नरेगा के कार्यों को निष्पादित करने के लिए एकल महत्वपूर्ण एजेंसी है क्योंकि अधिनियम में यह निर्देशित है कि एक योजना के अंतर्गत लागत के अनुसार कम से कम 50 प्रतिशत कार्य कार्यान्वयन हेतु ग्राम पंचायतों को आवंटित किए जाने चाहिए, योजनान्तर्गत अन्य विभागों के साथ कन्वर्जेन्स के माध्यम से स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है। लाइन विभागों के संसाधन के रूप में वित्तीय संसाधन व तकनीकि विशेषज्ञता का मनरेगा के संसाधनों के साथ समावश कर स्थायी एवं उच्च गुणवत्ता के परिसम्पत्तियों के सृजन की कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में मनरेगा कन्वर्जेन्स के अन्तर्गत वन, पंचायती राज, लोक निर्माण विभाग, उद्यान, लघु सिंचाई, सिंचाई, रेशम, बाल विकास एवं पुष्टाहार, युवा कल्याण, भूमि विकास एवं जल संसाधन, मत्स्य विभाग इत्यादि विभाग क्रियाशील है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में मनरेगा कन्वर्जेन्स के लिए राज्य स्तर से कुल धनराशि रू0 2946.30 करोड़ की 'राज्य कन्वर्जेन्स योजना' अनुमोदन हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी गयी है।

अभिनव प्रयास –

प्रदेश में मनरेगा योजनान्तर्गत पारदर्शित लाने एवं योजना को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कतिपय अभिनव प्रयास किये गये है। योजनान्तर्गत 01 जनवरी, 2014 से प्रदेश में e-FMS प्रणाली लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश की सभी कार्यदायी संस्थाओं यथा – ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत एवं अन्य लाइन विभागों को इलेक्ट्रानिक फण्ड मैनेजमेन्ट सिस्टम से राज्य रोजगार गारण्टी निधि से जोड़ा गया है। इस प्रणाली को लागू करने से योजनान्तर्गत 52,000 से अधिक कार्यदायी संस्थाओं के बैंक खातों में पड़ी रहने वालो अप्रयुक्त धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया गया है।

प्रदेश में कार्य की माँग एवं शिकायतों के निवारण हेतु एक 24×7 हेल्पलाइन स्थापित की गयी है। उक्त हेल्पलाइन के टॉलफ्री नम्बर 1800–180–5999 पर फोन करके कार्य करने इच्छुक श्रमिक कार्य की माँग दर्ज करा सकते है। इसके अतिरिक्त जॉब कार्ड बनवाने की माँग, शिकायत अथवा सुझाव भी इस हेल्पलाइन पर दर्ज कराये जा सकते है। समस्त भारत में मनरेगा योजनान्तर्गत 24×7 क्रियाशील रहने वाली यह प्रथम हेल्पलाइन है। हेल्पलाइन के अतिरिक्त काम की माँग एस0एम0एस0 एवं इन्टरनेट के माध्यम से भी दर्ज करायी जा सकती है। कार्य की माँग के लिए 9235000055 नम्बर पर एस0एम0एस0

किये जाने की एवं इन्टरनेट पर www.mgnregaupsamvedan.in वेबसाइट पर माँग दर्ज कराये जाने की व्यवस्था की गयी है।

एम0आई0एस0 –

मनरेगा योजनान्तर्गत पत्येक विवरण मनरेगा की राष्ट्रीय वेबसाइट www.nrega.nic.in पर उपलब्ध रहता है। मनरेगा योजनान्तर्गत किये गये प्रत्येक कार्य का छोटे से छोटा विवरण यथा– परियोजना का प्राक्कलन, परियोजना की लागत, फोटोग्राफ, माप, कुल व्यय धनराशि, बैंक खातों का विवरण इत्यादि NREGAsoft पर उपलब्ध है। उक्त विवरण Public Domain में रखा गया है, जिससे उक्त विवरण को किसी के भी द्वारा देखा जा सके।